न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीग(राज0)

प्र0सं0, 07/2022,(जी.सी.एम.एस. न. 2022/44) पीठासीन अधिकारीः—डॉ.रवि कुमार गोयल (R.A.S)

उनवान

जवाहर सिंह पुत्र गोरधन जाति जाट निवासी निगोही तहसील डीग

—वादी

बनाम

1. गायत्री पत्नी हुकम सिंह जाति जाट नि0 निगोही तहसील डीग
2. निरोत्तम पुत्र हरीसिंह जाति जाट नि0 निगोही तहसील डीग
3. राममूर्ति पत्नी निरोत्तमसिंह जाति जाट नि0 निगोही तहसील डीग
4. लज्जा पत्नी खैमसिंह जाति जाट नि0 निगोही तहसील डीग
5. राजकुमार पुत्र खैमसिंह जाति जाट नि0 निगोही तहसील डीग
6. नत्थी सिंह पुत्र गोरधन सिंह जाति जाट नि0 निगोही तहसील डीग
7. रूप सिंह पुत्र गोरधन सिंह जाति जाट नि0 निगोही तहसील डीग
8. यादू पुत्र खक्की जाति गडरिया नि0 निगोही तहसील डीग
9. चिरमोल उर्फ नॉन्दी पुत्र खक्की जाति गडरिया नि0 निगोही तहसील डीग
10. पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र भिक्कीराम जाति जाट नि0 निगोही तहसील डीग
11. जीतेन्द्र सिंह पुत्र भिक्कीराम जाति जाट नि0 निगोही तहसील डीग
12. धर्मेन्द्र सिंह पुत्र भिक्कीराम जाति जाट नि0 निगोही तहसील डीग
13. फूली पुत्र भम्बड जाति जाट नि0 निगोही तहसील डीग
14. मेदी पुत्र भम्बड जाति जाट नि0 निगोही तहसील डीग
15. राजपाल पुत्र समन्दर
16. रीना पुत्री समन्दर
17. भूरी पुत्री समन्दर

} जाति जाट नि0 निगोहीह तहसील डीग वारिस काबिज भम्बड

18. मिथलेश पत्नी खैमचन्द जाति ब्राह्मण नि0 निगोही तहसील डीग
19. नीतू पत्नी पुष्पेन्द्र जाति ब्राह्मण नि0 नावली तहसील बयाना
20. रिया पत्नी दीपक जाति ब्राह्मण नि0 निगोही तहसील डीग
21. सुशीला पुत्री हरी सिंह
22. कान्ती पुत्री हरी सिंह
23. राजो पुत्र हरी सिंह
24. केला पत्नी हरीसिंह

} जातियान ठाकुर नि0 निगोही तहसील डीग

25. तहसीलदार तहसील डीग
26. एस.बी.आई. बैंक शाखा डीग
27. सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा डीग

—प्रतिवादीगण

दावा तकसीम व हुक्म इम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.एक्ट,

उपखण्ड अधिकारी डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय दिनांकः 26.07.2024

वादी द्वारा यह दावा इस आशय के साथ पेश किया है कि आ.ख.नम्बरान 1226/0.19, 1227/0.43, 1228/0.38, जमाबन्दी खाता संख्या 102 व खसरा नम्बरान 283/0.18, 764/0.19, 1145/0.23, 1213/0.26 जमाबन्दी खाता संख्या 103 तथा खसरा नम्बरान 1142/0.22, 1216/0.23, 1397/0.33, जमाबन्दी खाता संख्या 104 व खसरा नम्बर 1314/0.37 जमाबन्दी खाता संख्या 177 व खसरा नम्बरान 273/0.37, 282/0.15, 759/0.19, 818/0.18, 1141/0.42, 1222/0.31, 1248/0.16, 1386/0.14, 1389/0.24, 1394/0.40, 1398/0.20, 1401/0.31, जमाबन्दी खाता संख्या 178 व खसरा नम्बरान 1516/0.28, 1517/0.37, 1518/0.71 जमाबन्दी खाता संख्या 179 व खसरा नम्बरान 861/0.35, 941/0.53, जमाबन्दी खाता संख्या 375 व खसरा नम्बर 763/0.36 जमाबन्दी खाता संख्या 376 वाके ग्राम निगोही तहसील डीग में स्थित है। आराजी मुत0 वादी व प्रति0 की संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। मुताविक जमाबन्दी हिस्से अनुसार अपने अपने हिस्से पर शांतिपूर्वक काबिज रहकर निरन्तर काश्त करते चले आ रहे है। मौके पर अपने अपने हिस्से के अनुसार काबिज काश्त है। वादी व प्रति0 के द्वारा मनवट के आधार पर बंटवारा कर रखा है परन्तु अव प्रति0 लट्ठ व ताकत के बल पर कब्जा कर वादी को वेदखल करने की धमकी देते है और आये दिन आराजी मुत0 को लेकर वादी व प्रति0 में झगडा होता है। अतः निवेदन है कि आराजी खसरा नम्बरान 1226/0.19, 1227/0.43, 1228/0.38, 283/0.18, 764/0.19, 1145/0.23, 1213/0.26, 1142/0.22, 1216/0.23, 1397/0.33, 1314/0.37, 273/0.37, 282/0.15, 759/0.19, 818/0.18, 1141/0.42, 1222/0.31, 1248/0.16, 1386/0.14, 1389/0.24, 1394/0.40, 1398/0.20, 1401/0.31,1516/0.28, 1517/0.37, 1518/0.71, 861/0.35, 941/0.53, 763/0.36 वाके ग्राम निगोही तहसील डीग को बिना विभाजन कराये रहन वय मुन्तकिल नहीं करने व वादी को वेदखल नहीं किये जाने तथा रिकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु गैर सायलान को पावंद फरमाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 22.02.2024 को प्रति0 संख्या 02 की ओर से श्री प्रवीण चौधरी एडवोकेट उपस्थित। दिनांक 09.05.2024 को प्रति0 संख्या 02 निरोत्तम पुत्र हरी सिंह की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी. पेश किया। जिसमें वर्णित किया गया कि दावा वादी खातेदारी भूमि के साथ गैर खातेदारी की भूमि हाल आराजी खसरा नम्बरान 1516/0.28, 1517/0.27, 1518/0.71 वाके ग्राम निगोही तहसील डीग की आराजी बावत पेश किया गया है जोकि विधि विरूद्व पेश किया गया है। जबकि विधि अनुसार केवल एक खातेदार काश्तकार को ही विभाजन का दावा लाने का अधिकार है। गैर खातेदार को विधि के अनुसार विभाजन का दावा लाने का अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर दावा वादी विधि विरूद्व होने से खारिज किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी. का दिनांक 27.06.2024 को जबाव पेश किया गया। जिसमें वर्णित किया गया है कि प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी.गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। दावा के साथ प्रस्तुत जमाबंदियों में नत्थीसिंह, जवाहरसिंह, रूपसिंह पिस. गोरधन आराजी खसरा नम्बरान 1516, 1517, 1518 में खातेदार काश्तकार है और वादी जवाहर द्वारा अपने हिस्सा को मुताविक हिस्सा अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के कुरे कराये जाने का दवा पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र मुकदमा को लम्बा करने के उद्वेश्य से पेश किया गया है। दावा के साथ प्रस्तुत जमाबंदी में उक्त लोग राजस्व रिकार्ड में खातेदार है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी. को खारिज फरमाया जावे।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने अपने दावे व जबाव प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा.दी. में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कहा किदावा के साथ प्रस्तुत जमाबंदियों में नत्थीसिंह, जवाहरसिंह, रूपसिंह पिस. गोरधन आराजी खसरा नम्बरान 1516, 1517, 1518 में खातेदार काश्तकार है और वादी जवाहर द्वारा अपने हिस्सा को मुताविक हिस्सा अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के कुरे कराये जाने का दवा पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र मुकदमा को लम्बा करने के उद्वेश्य से पेश किया गया है। दावा के साथ प्रस्तुत जमाबंदी में उक्त लोग राजस्व रिकार्ड में खातेदार है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी. खारिज फरमाया जावे।

वकील प्रति0 द्वारा दावे पर बहस प्रस्तुत करते हुए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी. में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि दावा वादी खातेदारी भूमि के साथ गैर खातेदारी की भूमि हाल आराजी खसरा नम्बरान 1516/0.28, 1517/0.27, 1518/0.71 वाके ग्राम निगोही तहसील डीग की आराजी बावत पेश किया गया है, जोकि विधि विरूद्व है। जबकि विधि अनुसार केवल एक खातेदार काश्तकार को ही विभाजन का दावा लाने का अधिकार है। गैर खातेदार को विधि के अनुसार विभाजन का दावा लाने का अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर दावा वादी विधि विरूद्व होने से खारिज किया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड/जमाबंदियों का गहनतापूर्वक अवलोकन तथा उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया। दावा वादी खातेदारी भूमि के साथ गैर खातेदारी की भूमि हाल आराजी खसरा नम्बरान 1516/0.28, 1517/0.27, 1518/0.71 वाके ग्राम निगोही तहसील डीग की आराजी बावत पेश किया गया है, जोकि विधि विरूद्व है। जबकि विधि अनुसार केवल एक खातेदार काश्तकार को ही विभाजन का दावा लाने का अधिकार है। गैर खातेदार को विधि के अनुसार विभाजन का दावा लाने का अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में हम प्रति0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी. को स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत दावा अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट को अस्वीकार किया जाना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

अतः आदेश है कि :–

वादी का दावा उपलब्ध साक्ष्य से सावित नहीं होने व विवादित आराजी गैर खातेदार को विधि अनुसार दावा लाने का अधिकार नहीं होने से दावा वादी मैण्टेनेबिल नहीं होने से **अस्वीकार/खारिज** किया जाता है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(डॉ. रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 26.07.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

उपखण्ड अधिकारी डीग जिला डीग (राज.)

Scanned with OKEN Scanner